CIRCULAR NO-560

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 5-1(63)/2009-PD

27.10.2011

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Directors/Heads of all
National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for the Central Government Civilian Employees – Clarification regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Dept. of Personnel & Training OM No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 9th September, 2010 on the subject cited above for information, guidance and compliance.

Yours faithfully

(K.K. Chopra) 31/x/11
Deputy Secretary

Encl: As above.

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.,
2. US to DG, CSIR
3. US to JS (Admn.)
4. PA to FA, CSIR
5. PS to CVO, CSIR
6. Legal Adviser, CSIR
7. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
8. Head, URDIP/IPMD/HRDC/PPD/ISTAD/USD/HRDG.
9. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
10. Head, RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
11. Secretary, JCM (Staff Side), Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Hyderabad-5000 07 (Andhra Pradesh)
12. Head, IT Division with the request to make this circular available on the website.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

Immediate

(1)

No.35034/3/2008-Estt.(D)

भारत सरकार

Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(Department of Personnel & Training)

स्थापना (घ)/Establishment (D)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

North Block, New Delhi

Dated: 9th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT:- MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEMF (MACPS) FOR THE CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES - CLARIFICATIONS RFGARDING.

The undersigned is directed to invite reference to the Department of Personnel and Training Office Memorandum of even number dated the 19th May, 2009 regarding the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS). Consequent upon introduction of the Scheme, clarifications have been sought by various Ministries/Departments about certain issues in connection with implementation of the MACPS. The doubts raised by various quarters have been duly examined and point-wise clarifications have accordingly been indicated in the Annexure.

2. The MACPS should strictly be implemented in keeping with the Department of Personnel and Training Office Memorandum of even number dated 19.05.2009 read with the aforesaid clarifications (Annexure).

3. All Ministries/Departments may give wide circulation to the contents of this O.M. for general guidance and appropriate action in the matter.

4. Hindi version would follow.

(Smita Kumar)
Director (Estt.I)
Tel.No.23092479

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard list).

(2)

Copy to :-

1. President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Supreme Court/Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/UPSC/CVC/C&AG/Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi.

2. All attached/subordinate offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Secretary, National Commission for Minorities.

4. Secretary, National Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

6. Ministry of Finance (Department of Expenditure) w.r.t. U.O. No.16(1)/Legal/2010 dated 06.09.2010.

7. All Staff Side Members of the National Council (JCM).

8. Establishment (D) Section - 100 copies.

9. NIC [for uploading this OM on the website of DOPT (ACP)].

10. Hindi Section, DOPT for Hindi version.

(Smita Kumar)
Director (Estt.I)
Tel.No.23092479

Annexure

[Reference:- Office Memorandum No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 09.09.2010]

S No.	Point of doubt	Clarification
1	Whether the Pay Band would change in the hierarchy of Pay Bands & Grade Pay on grant of the benefits under MACPS?	**Yes.** The upgradations under MACPS is to be granted in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay as prescribed in the CCS (RP) Rules, 2008.
2	Whether the benefits of MACPS would be allowed to the Government servants who have been later on inducted in the Organized Group "A" Service	**No.** The benefits under MACPS is not applicable to Group 'A' officer of Organised Group 'A' Services, as the officer under Organized Group 'A' Services have already been allowed parity of two years on non-functional basis with the officers of Indian Administrative Service (IAS)
3.	How will the benefits of ACP be granted if due between 01.01.2006 and 31.08.2008?	The new MACPS has come into existence w.e.f. 01.09.2008. However, the pay structure has been changed w.e.f. 01.01.2006. Therefore the previous ACPS would be applicable in the new pay structure adopted w.e.f. 01.01.2006. **Para 6.1 of Annexure-I of MACPS is only for exercising option for coming over to the revised pay structure and not for grant of benefits under MACPS.** The following illustrations would explain the position: **(A) In the case of isolated post:** Date of appointment in entry Grade in the pre-revised pay scale of **Rs.4000-6000:** 01.10.1982 1st ACP granted on 09.08.1999 **:Rs.4500-7000 (pre-revised)** 2nd ACP due on 01.10.2006 **:Rs.5000-8000 (pre-revised) [revised PB-2 Grade Pay of Rs.4200]** 3rd financial upgradation under the MACPS would be due on 01.10.2012 (on completion of 30 years of continuous regular service) in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay i.e. Grade Pay of Rs.4600 in PB-2.

		(B) In the case of normal promotional hierarchy: Date of appointment in entry Grade in the pre-revised pay scale of **Rs.5500-9000: 01.10.1982** 1st ACP granted on 09.08.1999 :**Rs.6500-10500 (pre-revised)** 2nd ACP due on 01.10.2006 (as per the existing hierarchy) :**Rs.10000-15200 (pre-revised).** **Therefore, 2nd ACP would be in PB-3 with Grade Pay of Rs.6600 (in terms of hierarchy available).** 3rd financial upgradation under MACPS would be due on 01.10.2012 in the immediate next higher grade pay in the hierarchy of recommended revised pay band and grade pay of Rs.7600.
4	Whether the benefits of MACPS would be granted from the date of entry grade or from the date of their regular service/approved service counted under various service rules.	The benefits under MACPS would be available from the date of actual joining of the post in the entry grade.
5	In a case where a person is appointed to an ex-cadre post in higher scale on deputation followed by absorption, whether the period spent on deputation period would be counted as continuous service in the grade or not for the purpose of MACPS.	(i) Where a person is appointed on direct recruitment/deputation basis from another post in the same grade, then past regular service as well as past promotions/ACP, in the earlier post, will be counted for computing regular service for the purpose of MACPS in the new hierarchy. (ii) However, where a person is appointed to an ex-cadre post in higher scale initially on deputation followed by absorption, while the service rendered in the earlier post, which was in a lower scale cannot be counted, there is no objection to the period spent initially on deputation in the ex-cadre post prior to absorption being counted towards regular service for the purposes of grant of financial upgradation under MACPS, as it is in the same Pay band/grade pay of the post.

6	Whether the pay scale/grade pay of substantive post would be taken into account for appointment/selection to a higher post on deputation basis or the pay scale/grade pay carrying by a Government servant on account of financial upgradation(s) under ACP/MACP Scheme.	The pay scale/grade pay of substantive post would only be taken into account for deciding the eligibility for appointment/selection to a higher post on deputation basis.
7	In a case where 1st/2nd financial upgradations are postponed on account of the employees not found fit or due to departmental proceedings, etc. whether this would have consequential effect on the 2nd/3rd financial upgradation or not.	Yes. If a financial upgradation has been deferred/postponed on account of the employee not found fit or due to departmental proceedings, etc., the 2nd/3rd financial upgradations under MACPS would have consequential effect. **(Para 18 of Annexure-I of MACPS referred).**
8	In a case where the Government servant have already earned three promotions and still stagnated in one grade for more than 10 years, whether he would be entitle for any further upgradation under MACPS.	No. Since the Government servant has already earned three promotions, he would not be entitled for any further financial upgradation under MACPS.
9	Whether the pre-revised pay scale of Rs.2750-4400 in respect of Group 'D' non-matriculate employees, would also be taken as merged to grade pay of Rs.1800 for the purpose of MACPS in view of merger of pre-revised pay scales of Rs.2550-3200, Rs.2610-3540, Rs.2610-4000 and Rs.2650-4000, which have been upgraded and replaced by the revised pay structure of grade pay of Rs.1800 in the pay band **PB-1.**	Yes.

10	If a Govt. Servant on deputation earns upgradation under MACPS in the parent cadre, whether he would be entitled for deputation (duty) allowance on the pay and emoluments granted under the MACPS or not?	No. While eligibility of an employee for appointment against ex-cadre posts in terms of the provisions of the RRs of the ex-cadre post will continue to be determined with reference to the post/pay scale of the post held in the parent cadre on regular basis (and not with reference to the higher scale granted under ACPS/MACPS). such an officer, in the event of his selection, may be allowed to opt to draw the pay in the higher scale under ACP/MACP Scheme without deputation allowance during the period of deputation, if it is more beneficial than the normal entitlements under the existing general order regulating pay on appointment on deputation basis.
11	Since the pay scales of Group "D" employees have been merged and placed in the Grade Pay of Rs.1800, whether they are entitled for grant of increment @ 3% during pay fixation at every stage	Yes, On the analogy of point 22 of Annexure-I of MACPS, the pay of such Group "D" employees who have been placed in the Grade Pay of Rs.1800 w.e.f. 01.01.2006 shall be fixed successively in the next three immediate higher grade pays in the hierarchy of revised pay-bands and grade pays allowing the benefit of 3% pay fixation at every stage.

(7)

तत्काल

संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना(घ)
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 9 सितंबर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) – संबंधित स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस योजना के शुरु होने के परिणामस्वरूप संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कतिपय मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । विभिन्न हलकों द्वारा उठाए गए संदेहों की यथापूर्वक जांच की गई है तथा तदनुसार बिन्दुवार स्पष्टीकरणों को अनुबंध में दर्शा दिया गया है ।

2. उपर्युक्त स्पष्टीकरणों (अनुबंध) के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए एमएसीपीएस को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

3. सभी मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सामान्य मार्गदर्शन तथा मामले में उपयुक्त कार्रवाई हेतु व्यापक रूप से परिचालित करें ।

ह०
(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना-I)
दूरभाष नं. 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सी. एंड ए.जी./केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को दिनांक 06.09.2010 के यू.ओ. संख्या 16(1)/लीगल/2010 के संदर्भ में ।
7. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
8. स्थापना(घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - 100 प्रतियां
9. एन.आई.सी. (इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एनआईसी) की वेबसाइट पर डालने हेतु ।

ह०

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना-I)

दूरभाष नं. 23092479

(9)

अनुबन्ध

[सन्दर्भ :- दिनांक 9.9.2010 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)]

क्र.स.	सन्देह का बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने पर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में वेतन बैंड परिवर्तित होगा ?	जी, हां । संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रोन्नयन सी.सी.एस.(आर.पी.) नियमावली, 2008 में निर्धारित किए अनुसार संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में प्रदान किया जाएगा ।
2	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) का लाभ ऐसे सरकारी सेवकों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें बाद में संगठित समूह 'क' सेवा में ले लिया गया है ।	जी, नहीं । एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ संगठित समूह 'क' सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के लिए अनुमेय नहीं होते क्योंकि संगठित समूह 'क' सेवा के अंतर्गत अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ दो वर्ष की समानता गैर-कार्यात्मक आधार पर पहले ही प्रदान की गई है ।
3	सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ यदि 1.1.2006 तथा 31.8.2008 के बीच देय हो तो उन्हें किस प्रकार प्रदान किया जाएगा ?	नई एमएसीपीएस 1.9.2008 से प्रभाव में आई है । तथापि, वेतन संरचना 1.1.2006 से परिवर्तित हो गई है । अतः पिछली एसीपी 1.1.2006 को अपनाई गई नई वेतन संरचना में लागू होगी । एमएसीपीएस के अनुबंध-1 का पैरा 6 । केवल संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए है न कि एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु । निम्न उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं :- (क) <u>अलग-थलग (isolated) पदों के मामले में</u> :- 01.10.1982 के संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 4000-6000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख 9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी ₹ 4500-7000 (संशोधन पूर्व) 1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी ₹ 5000-8000 (संशोधन पूर्व) एमएसीपीएस के अंतर्गत संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अर्थात् ₹ 4600 के ग्रेड वेतन में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को (30 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा पूरी करने पर) देय होगा ।

		<u>(ख) सामान्य पदोन्नति पदानुक्रम के मामले में</u> 1.10.1982 के संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 5500-9000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख 9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी ₹ 6500-10500 (संशोधन पूर्व) 1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी (मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार) ₹ 10000-15200 (संशोधन पूर्व) अतः द्वितीय एसीपी ₹ 6600 के ग्रेड वेतन वाले पी.बी-3 में होगी (उपलब्ध पदानुक्रम की शर्तों के अनुसार) एमएसीपीएस के अंतर्गत सस्तुल संशोधित वेतन बैंड तथा ₹ 7600 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में देय होगा।
4	क्या एमएसीपीएस के लाभ प्रवेशी ग्रेड की तारीख से अथवा विभिन्न सेवा नियमों के अंतर्गत गिनी गई उनकी नियमित अनुमोदित सेवा की तारीख से प्रदान किए जाएंगे ?	एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रवेशी ग्रेड में पद का वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होगा।
5	ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर उच्च वेतनमान में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा उसके बाद संविलियन किया गया हो तो क्या प्रतिनियुक्ति पर बिताई अवधि को निरंतर सेवा के रूप में अथवा एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ गिना जाएगा ?	(i) जब किसी व्यक्ति को समान ग्रेड में अन्य पद से सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है तो पिछले पद पर पूर्व पदोन्नति/एसीपी के साथ-साथ पिछली नियमित सेवा को नए पदानुक्रम में एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ नियमित सेवा की संगणना हेतु गिना जाएगा। (ii) तथापि, जहां किसी व्यक्ति को शुरु में प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च ग्रेड में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा तत्पश्चात् संविलियन किया गया हो, तो पूर्व पद पर की गई सेवा, जो निम्न वेतनमान में की थी उसे गिना नहीं जा सकता, जबकि संविलियन से पहले संवर्ग बाह्य पद पर शुरुआत में प्रतिनियुक्ति आधार पर बिताई गई उस अवधि की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं है जिसकी गणना एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय

		प्रोन्नयन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नियमित सेवा हेतु की जा रही हो क्योंकि यह उस पद के सदृश वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में होती है ।
6	क्या मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए अथवा सरकारी सेवक के द्वारा लिए जा रहे वेतनमान/ग्रेड वेतन के लिए एसीपी/एमएसीपीएस योजना के कारण गिना जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति आधार पर किसी उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए पात्रता का निर्णय करने हेतु मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को ही गिना जाएगा ।
7	कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा अनुशासनिक कारवाई के लिए विचाराधीन होने के कारण प्रथम/द्वितीय वित्तीय प्रोन्नयन को आस्थगित कर दिया जाता है, के मामले में क्या इसका द्वितीय/तृतीय वित्तीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ।	जी, हां । यदि कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा विभागीय कारवाई आदि हेतु विचाराधीन होने के कारण वित्तीय प्रोन्नयन स्थगित/आस्थगित कर दिया गया हो तो एमएसीपीएस के अंतर्गत द्वितीय/तृतीय वित्तीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव होगा (एमएसीपीएस के अनुबंध-1 का पैरा 18)
8	ऐसे मामले में जिसमें सरकारी सेवक ने तीन पदोन्नतियां पहले ही अर्जित कर ली है तथा फिर भी 10 वर्षों से अधिक समय से अभी भी एक ही ग्रेड में प्रगतिरोधित है तो क्या उसे एमएसीपीएस के अंतर्गत किसी अगले प्रोन्नयन की हकदारी होगी ?	जी, नहीं । क्योंकि सरकारी सेवक ने पहले ही तीन पदोन्नति अर्जित कर ली है, एमएसीपीएस के अंतर्गत उसे अगले वित्तीय प्रोन्नयन की हकदारी नहीं होगी ।
9	क्या समूह 'घ' गैर मैट्रिकुलेट कर्मचारियों के संबंध में ₹ 2750-4400 के संशोधन पूर्व वेतनमान को ₹ 2550-3200, ₹ 2610-3540, ₹ 2610-4000 तथा ₹ 2650-4000 के संशोधन पूर्व वेतनमान, जो प्रोन्नत तथा वेतन बैंड पी.बी.-1 में ₹ 1800	जी, हां ।

	के ग्रेड वेतन के संशोधित वेतन ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए है, के मद्देनजर एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में यथासंविलयित माना जाएगा ।	
10	प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रोन्नयन अर्जित करता है, तो क्या वह एमएसीपीएस के अंतर्गत वेतन तथा परिलब्धियों पर प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य) भत्ते का हकदार होगा अथवा नहीं ।	जी, नहीं । जबकि संवर्ग बाह्य पद के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी की संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर मूल संवर्ग में धारित पद के पद/वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना जारी रहेगा (न कि एसीपी/एमएसीपीएस के अंतर्गत प्रदान किए गए उच्च वेतनमान के संदर्भ में), उनके चयन की स्थिति में ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना एसीपी/एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्च वेतनमान में वेतन आहरित करने के विकल्प की अनुमति दी जा सकती है, यदि यह प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति को विनियमित करने वाले मौजूदा सामान्य आदेशों के अंतर्गत सामान्य हकदारी से अधिक हो ।
11	चूंकि समूह 'घ' कर्मचारियों का वेतनमान संविलयित कर दिया है तथा ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में रख दिया गया है, क्या उन्हें प्रत्येक स्तर पर वेतन नियतन के दौरान 3% की दर से वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने की हकदारी है ।	जी, हां । एमएसीपीएस के अनुबंध-I के बिन्दु 22 की सदृश्यता के आधार पर ऐसे समूह घ कर्मचारियों जिन्हें 1.1.2006 से ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में रखा गया है, का वेतन प्रत्येक स्तर पर 3% के वेतन नियतन का लाभ की अनुमति प्रदान करते हुए संशोधित वेतन बैंडो तथा ग्रेड वेतनों के पदानुक्रम में एक के बाद एक तीन एकदम उच्च ग्रेड वेतनमानों में नियत किया जाएगा ।